

न्यायालय तहसीलदार, गंगापूर सिटी (जिला- सवाई माधोपुर)

मु.नं. : 4/19

तारीख रजू : 25.6.19

निर्णय दिनांक : 31-10-19

सरकार बनाम हफीज पुत्र वशीर

-: निर्णय :-

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का गंगापूर सिटी ने एक रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की है कि हफीज पुत्र वशीर जाति मुस्लमान, गद्दी, निवासी मिर्जापुर ने खसरा नं. 138 रकबा 0.125 है 0 किस्म गै0मु0चारागाह वाके ग्राम मिर्जापुर पर संवत् 2076 में अनाधिकृत रूप से तारबन्दी कर कब्जा कर अतिचार किया है। पटवारी हल्का की रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अतिक्रमी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 का नोटिस जारी व्यक्तिगत सुनवाई व सबूत पेश करने का विधिवत् रूप से समुचित अवसर दिया गया।

पटवारी हल्का उपस्थित। गैरसायल ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपने पक्ष में जबाब प्रस्तुत किया कि आराजी खसरा नम्बर 138 स्थित ग्राम मिर्जापुर के 0.125 हेक्टर रकवे पर प्रार्थी का कोई अतिचार नहीं है। खसरा नम्बर 138 के पास प्रार्थीकी खातेदारी व कब्जे कि भूमि खसरा नम्बर 134 रकवा 20 एयर व खसरा नम्बर 135 रकवा 2 एयर व अन्य भूमि है जिस पर ही प्रार्थीका कब्जा है। प्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही को ड्राप फरमाई जाये। अतिक्रमी की आपत्ति पर दो भूअभिलेख निरीक्षक दो पटवारीयो की संयुक्त टीम गठित कर अतिक्रमण की जाचं कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जिसकी पालना में संयुक्त टीम द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर अवगत कराया कि पटवारी हल्का द्वारा जो अतिक्रमण की रिपोर्ट पेश की गई है वह सही है तथा अतिक्रमी के अतिक्रमण क पुष्टि की है।

उपस्थित पटवारी हल्का ने अतिक्रमण के संबंध में अपनी रिपोर्ट की रिकॉर्ड से ताईद की एवं जमाबंदी का अवलोकन कराया। पटवारी हल्का ने अतिचारी के विरुद्ध कार्यवाही की इस्तदुआ की। हमने पत्रावली, आपत्ति अतिक्रमी एवं रिपोर्ट संयुक्त टीक का अवलोकन किया। गैरसायल का आराजी प्रश्नगत पर अतिचार प्रमाणित है।

अतः गैरसायल को आराजी मुतनाजा से बेदखल किया जाता है एवं इन पर लगान 6.02 की 50 गुनी शास्ति 301/- आरोपित की जाती है। पटवारी हल्का व गिरदावर वृत्त अतिचारित कब्जे को नियमानुसार ध्वस्त कर एवं बेदखल कर पालना रिपोर्ट पृथक् से देवें। तहसील राजस्व लेखाकार एवं पटवारी हल्का से नाँग कायमी करवाई जावे। गिरदावर वृत्त व पटवारी हल्का को पालनार्थ पृथक् से लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31.10.19 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

रजिस्टर 'घ' के पेज संख्या3....
पर रुपये 301/- की कायमी वर्ष
2019-20 की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

तहसीलदार
गंगापूर सिटी